



क्रमांक 313 /बै.प्र./स्थायी समिति/2018

बिलासपुर दिनांक : 17/12/2018

॥ अधिसूचना ॥

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, विद्यापरिषद की स्थायी समिति में कुलपति, अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागणों के अतिरिक्त विद्यापरिषद के द्वारा अपने सदस्यों में से नामांकित 04 सदस्य भी होंगे।

उक्त प्रावधानों के प्रकाश में, विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 01.11.2018 के पद क्रमांक-02 पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कुलपति/अध्यक्ष-विद्यापरिषद द्वारा विद्यापरिषद के सदस्यों में से निम्नांकित सदस्यों का नामांकन विद्यापरिषद की स्थायी समिति में किया गया है :-

01. प्रो० पी.के. बाजपेयी, आचार्य
02. प्रो० ए.एस. रणदिवे, आचार्य
03. प्रो० एल.पी. पटैरिया, आचार्य
04. प्रो० एम.के. सिंह, आचार्य

पदेन सदस्यों को छोड़कर उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल विद्यापरिषद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ०क्रमांक 314 /बै.प्र./स्थायी समिति/2018

बिलासपुर दिनांक : 17/12/2018

प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।


कुलसचिव (कार्यवाहक)